प्रो. अजित कुमार मेहता : (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत की जनता के कल्याणार्थ चुबकीय विखंडन ऊर्जा के विकास, वर्तमान अनुसंधान कार्यक्रमों के क्रमिक अंतरण, नियंत्रण और उपयोग के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the development, orderly transition from the current research programmes, control and use of magnetic fusion energy for the welfare of the people of India."

The motion was adopted

प्रो. अजित कुमार मेहता : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

18.28 hrs.

BAN ON EXPOSURE OF WOMAN'S BODY IN ADVERTISEMENTS BILLS---*Contd.*

SHRI MOHAN LAL PATEL (Junagadh) : Sir, I have sought your permission to place some posters* on the Table of the House.

MR. CHAIRMAN: It will be examined.

श्री मोहन लाल पटेल : सभापति जी, गत डिबेट में मैंने इस सदन में बताया था कि इस विधेयक की क्या आवश्यकता है । आज मैं सदन का ध्यान कई ऐसी चीज़ों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिनमें प्रजामत पर ही ध्यान नहीं दिया जा सकता । टेलीविजन प्रसारण पर अगर लोगों की राय मांगी जाए तो राय आएगी कि दो के बजाए तीन चार फिल्में दिखाई जाएं । इसलिए कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ पब्लिक ओपीनियन पर हम निर्भर नहीं कर सकते । हमारे यहां दुःख की बात यह है कि सरकार के माध्यम में भी ऐसे दृष्य दिखाए जाते हैं जो सरकार के अपने मूल विचारों को भी ध्वंस करते हैं । मैं दो-तीन बातें इसके बारे में कहना चाहता हूं ।

टी वी पर फीचर फिल्में दिखाई जाती हैं और जिन फ़िल्मों को एडल्ट का जो सर्टिफिकेट मिला होता है वे भी दिखाई जाती हैं । सिनेमा घरों में बच्चे उनको नहीं देख सकते हैं । लेकिन घर पर तो ऐसी कोई 'पावन्दी नहीं है । एक मित्र मुझे बता रहे थे जब टी वी पर पिक्चर आने में थोड़ी देर थी कि मैंने बच्चे को कहा कि आप थोड़ा घूम आओ बाहर जिस का जवाब बच्चे ने यह दिया कि पिता जी ऐसा कोई दृश्य आएगा तो हम आंखें बन्द कर लेंगे लेकिन पिक्चर देखेंगे ।

रेडियो पर किस तरह के विज्ञापन आते हैं यह भी आप देखें ।

डावरी प्रथा के बारे में हम कानून बनाने जा रहे हैं । कानून की मंशा के विरुद्ध सरकारी प्रचार माध्यमों के द्वारा विज्ञापन आते हैं , एक मेरे पास है । यह टाइम्ज का कटिंग है, फोटो प्रिंट है उस में बताया गया है कि किस तरह के विज्ञापन आजकल रेडियो में आते हैं । "आपको शादी में जौली बीबी ही नहीं, जौली टी वी भी मिला है ।" क्या इस तरह के विज्ञापनों से डाउरी को बढ़ावा नहीं मिलता है । क्या दूसरों को इस का पता नहीं चलता है कि उनको भी कुछ मिलने वाला हैं डाउरी में । एक दूसरा एडवर्टिजमेंट आप देखे । "मैं शादी करने के लिए तैयार हूं

* The Speaker not having Subsequently accorded the necessary permission the papers were not treated as laid on the Table

लेकिन शादी सिर्फ दिल्ली में करूंगी क्योंकि यहां पर उत्तम की साढ़ियां पहनने को मिलेंगी। ये विज्ञापन गवर्नमेंट के प्रसारण माध्यमों से प्रसारित होते हैं। जब आप नारी की प्रतिष्ठा कैसे बढ़े इसके बारे में चिन्तित हैं तो कम से कम इस प्रकार के विज्ञापनों पर तो हमें रोक लगानी चाहिये। ऐसे विज्ञापनों को जल्दी से जल्दी बन्द कर दिया जाना चाहिये। फिल्में जो टी वी पर दिखाई जाती हैं उनकी पहले से जांच होनी चाहिए। एडल्ट्स के लिए जो फिल्में हैं वे घर पर नहीं दिखाई जानी चाहिए, उन पर पाबन्दी लगाई जानी चाहिये।

हमारे देश में सब के लिए कोई न कोई कानूनी बन्धन है लेकिन एडवर्टिजमेंट्स कोई भी किसी भी प्रकार की छपे उस पर कोई पाबन्दी नहीं है। खुले बाजार में कोई स्त्री या पुरुष अगर गैर वाजिब काम करते हैं तो हम उनको पकड़ लेगें, पुलिस में ले जायेगें या लोग उनको पीटने लगेगें। कुछ तो होगा। लेकिन बाजार में पोस्टर लगे रहते हैं, महीनों तक आलिंगन करते हुए स्त्री पुरुष को दिखाया जाता है, वीभत्स दृश्य उन में प्रदर्शित होते है, लेकिन उस पर कोई पाबन्दी नहीं, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। स्त्री या पुरुष अपनी नग्नता का प्रदर्शन एक मिनट भी बाजार मैं, करें तो मन खराब हो जाता है लेकिन पोस्टर में, सड़कों पर लगे विज्ञापनों में, वीभत्स दृश्य दिखाए जाते हैं लेकिन उस पर कुछ नहीं कर सकते है। दोनों में क्या फर्क है। देश की संस्कृति को बनाए रखने के लिए जितने वीभत्स पोस्टर चाहे समाचार पत्रों मैं छपते हो या टी वी पर दिखाए जाते हो या अखबारों में छपते हों या मैगेजींन में छपते हों, उन पर पाबन्दी लगाना जरूरी है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी उसके वारेमें जरूर सोचेंगे।

यह विधेयक जब संसद में आया तो बहुत सी महिला संस्थाओं ने इस पर अपने विचार बाद में भी रखे हैं, जिन्हें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। उन्होंने इन वीभत्स विज्ञापनों के खिलाफ जो अपना आक्रोश दिखाया है उसके बारे में "कल्याणी" इंस्टीट्यूशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और उसके बारे में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को मैमोरैंडम दिया है। उसमें बहुत सी बातें हैं जिसमें से दो, तीन बातें मैं यहां बताना चाहता हूं :-

"Board of Film Censors should include representatives from such social and cultural organisations as having faith in Indian culture values and traditions.

Display of obscene female posters be banned and offenders suitably penalised.

Films which are of educative value or as highlighting the social evils should be encouraged.

TV, Indian drama and movies be preferentially screened so as to revive forgotten values of Indian culture and traditions instead of Western patterns."

"नीति मंच" नाम की एक सोशल इंस्टीट्यूशन ने भी अपना एक मैमोरैन्डम दिया है। मैं समझता हूं कि देश की सभी प्रमुख सोशल एक्टिविटीज की संस्थाओं और संसद-सदस्यों को भी उन्होंने यह भेजा है। उसमें उन्होंने 10 प्वाइन्ट बताये हैं। इनमें से एक, दो मैं यहां बताना चाहता हूं :-

Neeti Manch :

"That it is unfortunate and deplorable that the feminist groups all over the country dedicated to the cause of women's rights, equality and dignity. have failed to check so far, this blatant exploitation of the eternal feminine grace, beauty and mystery, degrading the

(Shri Mohan Lal Patel)

woman's body to a mere saleable commodity.

With these obscene advertisements having found an almost all-pervasive circulation through the newspapers, magazines, cinema slides, posters, hoardings erected all along the roads and streets of cities, towns and even villages and above all commercials at TV and radio are playing a havoc to the taste morals of the masses especially the young ones with traceable minds."

Hindustan Times of two days ago :

"WOMEN ARE DIGGING IN FOR FIGHT."

A Seminar on "prevention of obscenity in advertisements" has decided to present a memorandum on the subject to the Prime Minister and the Lok Sabha Speaker requesting them to take 'urgent steps for getting the requisite law passed wherever necessary'...

Through a resolution, the Seminar also decided to carry out a 'sustained widespread campaign' against the increasing cultural pollution being brought about in society by obscenity, nudity and perverted sexuality in the advertisements, films videos and pornographic literature.

The Seminar decided to coordinate and mobilise the various women's organisations 'in this urgent and noble cause as the cultural pollution is particularly degrading and derogatory to women, projecting their image as a mere commercial commodity for sensuous exploitation.'

मेरे पास यह **टाइम्स आफ इंडिया** है, जिसके एक आर्टिकल" काल टु एंड एक्सप्लामेटेशन्ज आफ विमैन" में महिलाओं की सौशल आर्गनाइजेंशन ने यही मांग की है ।

दिल्ली की दस प्रमुख महिला संस्थाओं ने कल लोक सभा के अध्यक्ष और भारत की प्रधान मंत्री को मैमोरेंडम दिया है, जिसमें कहा गया है :-

"In the light of the above, we appeal to the Government to take immediate action—

—to revise the laws on obscenity and to implement the existing laws ;

—to ensure that the films made and shown do not have scenes of obscenity, rape or other form of violence against women and do not perpetuate the negative stereotypes ;

—to ensure that the making, showing and advertising of soft pornographic films be banned ;

—to ensure that no obscene hoardings are put up on roads ;

—to see that the Doordarshan and the A.I.R. do not relay programmes which are obscene and sexist."

इससे हम जान सकते हैं कि भारत की महिला संस्थाओं के इस बारे में क्या विचार है और वे क्या महसूस करती है ।

मेरे पास यह **पेट्रियट** का दो दिन पहले का अंक हैं । इसमें फिल्मज के जितने एडवरटाइजमेंट्स दिए गए हैं, वे सब ऐसे है, जिन्हें हम देख नहीं सकते । उनमें से एक भी एडवरटाइजमेंट्स ऐसा नहीं है, जो सेकसुअल न हो । कई प्रमुख डेली न्यूजपेपर्ज में भी हर रोज ऐसे एडवरटाइजमेंट्स छपते है. जो इतने भद्दे होते है कि हम लोग कुटुम्ब में एक-साथ बैठ कर उन्हें नहीं देख सकते । अगर हम लोगों को यह छूट दे देंगे कि वे जो चाहे छापें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि संपूर्ण रूप से नंगे विज्ञापन छपने लगेंगे ।

माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वे इस विधेयक का समर्थन कर के भारत की संस्कृति को बनाए रखने में सहयोग दें । इस कानून का उल्लंघन करने पर 25,000 रुपए जुर्माना और एक साल की कैद की सजा की व्यवस्था की गई है । मुझे उम्मीद है कि प्रो. रंगा

जैसे बुजुर्ग भी, जो भारत की संस्कृति के रक्षक माने जाते हैं, इस बिल की भावना को समझ कर इसे पूर्ण समर्थन देंगे ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फ़िरोज़ाबाद): मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बिल पेश किया है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : एक आनरेबल मेम्बर ने एमेंडमेंट रखी हैं, लेकिन वह यहां पर नहीं हैं ।

श्री राजेश कुमार सिंह : 3 मार्च को दिल्ली में फ़ीरोज़शाह कोटला मैदान में कुछ महिला संस्थाओं द्वारा एक प्रदर्शन किया गया,

जिसमें कहा गया - बैन सेक्स एडवर्टीज़मेन्ट्स बैन सेक्स पोस्टर्स । यह उन महिलाओं की पुकार है जो बहुत समय तक घर में बैठी रही थी और अब सड़क पर आकर इसका विरोध कर रही है । उनका कहना है कि हमारा जो उपयोग व्यवासय में किया जा रहा है, हमारे चित्रों का जो उपयोग एडवर्टीज़मेन्ट्स में हो रहा है और फिल्मों में जो हो रहा है वह अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है । यह उन महिलाओं की बात हैं जिन के हृदय में वेदना हो रही है । आपने कभी सिगरेट का एडवर्टीज़मेन्ट देखा होगा या रेज़र ब्लेड का एडवर्टीज़मेन्ट देखा होगा सिगरेट भी किसी महिला के ही हाथ में है और वह कपड़े भी ऐसे पहने हुए है जिनको देखने में बडी शर्म लगती है मैं इस देश के कुछ पिछडे हुए इलाकों की बात तो नहीं करता लेकिन आम तौर से इस देश की महिलाओं का सिगरेट के एडवर्टीज़मेन्ट से कुछ भी लेना-देना नहीं है । इसी तरह से रेज़र ब्लेड भी पुरुषों के ही काम आते हैं लेकिन उसके एडवर्टीज़मेन्ट में भी आप देखेंगे कि एक महिला पुरुष के सामने खड़ी होकर कह रही है कि आप बड़े सुन्दर लग रहे हो ।

जहांतक फिल्मों की बात है, माननीय सदस्य यहां पर कह रहे थे कि खास तौर से हिन्दी फिल्मों की हालत बड़ी खस्ता है । आये दिन लिखा रहता है कि एडल्ट के लिए फिल्म है और उनके जो पोस्टर्स होते हैं उनकी तरफ, अगर आपके साथ में कोई बुजुर्ग हो, बच्चे हों या बहन हो, आपकी नजर भी नहीं जाती है । टेलीविजन के चित्रहार में भी कभी कभी इसी तरह की गड़बड़ी होती है । पता नहीं क्यों ऐसी फिल्मों की नुमाइश की जाती है ? आज जो हमारे पीडिया हैं टेलीविजन बगैरह उनके द्वारा प्रचार करके लोगों को शिक्षा भी दी जा सकती है और लोगों को प्रप्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गुमराह भी किया जा सकता है ।

कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि भारत की पुरानी संस्कृति में और मन्दिरों में भी ऐसी मुर्तियां बनी हुई हैं लेकिन वे उसकी बुनियाद में जाने की कोशिश नहीं करते हैं । उन मूर्तियों के पीछे एक श्रद्धा की भावना निहित है जोकि गुफाओं और कन्दराओं में बनाई गई हैं लेकिन फिर भी लोग इस तरह का तर्क देते हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि आजकल जो हो रहा है उसका हमारे नौजवानों पर बुरा असर पड़ता है । कोई लड़की जा रही हो तो कोई नौजवान उसपर आवाज करते है । इसी तरह से हमारे बच्चों पर वेष-भूषा का कुप्रभाव पड़ रहा है । देख-देख कर बच्चे कहते हैं कि हमें भी ऐसे ही कपड़े सिलवाने हैं । हमारे लड़के और लड़कियों के मस्तिष्क पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है । आप देखेंगे कि डनलप टायर के एडवर्टीज़मेन्ट में किसी महिला की जरूरत नहीं है लेकिन आप देखेंगे कि किसी सरदार जी का ट्रक है और साथ में महिला खड़ी हुई है तो ऐसा क्यों होता है ? उसमें भी लड़की एंग ही होगी एक बुड़िया माँ ऐसा नहीं कहेगी कि ट्रक के लिए यह बढ़िया टायर है ।

(श्री राजेश कुमार सिंह)

मैं यहाँ पर महाराष्ट्र के एक केस की भी चर्चा करना चाहूंगा।

In Deshi vs State of Maharashtra case D.H. Lawrence author of Lady Chatterley's Lover in the courts they had raised the Constitution at question under Article 19 of the assured freedom of speech and expression but qualified it by acknowledging the lawfulness in the interest of decency and morality.

जस्टिस हिदायातुल्ला ने एक प्रश्न उठाया और संविधान की धारा 19 के अन्तर्गत यह साफ कर दिया कि यह अधिकार तो हो सकता है, आप कैसे अभिव्यक्ति कर सकते हैं।

मैं इस बिल के संदर्भ में पीछे आऊंगा। मैं मंत्री से कहना चाहूंगा कि आज आम महिला सोच रही है, घर के बच्चे सोच रहे हैं जो अपने आपको अतिआधुनिक कहते हैं या जो इंग्लिश पत्रिकाओं को पढ़ने वाले लोग हैं, देशी भाषा में मैं कमदेखता हूं, उन पत्रिकाओं में एक अजीब महिालओं का दृश्य होता है। उसके साथ-साथ कविता भी होती है। यह चीजें आज कल आए दिन देखने को मिलती हैं। जब ये पत्रिकायें घर में आ जाती है, तो हो सकता है कुछ लोगों को ऐतराज न हो, लेकिन वे कला-कृतियों के बारे प्रशंसा करते-करते वास्तविक कला को भूल जाते हैं। जिससे दिमाग पर गलत असर पड़ता है। इससे समाज में गड़बड़ पैदा होती है, जिसको रोकना चाहिए और कानून के माध्यम से रोकना चाहिए।

18.52 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

"To prevent debasement of the individual Virtues, the cultural standard and the common security of mankind without which democracy could not survive."

जिसको पढ़ कर कोई भी लोकतन्त्र सरवाइव नहीं कर सकता है। जस्टिस हिदायातुल्ला ने भी इस बात को साफ कर दिया है खास तौर पर लोकतन्त्र के अन्दर यह दिशा दी गई है कि थोड़ा रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज किया गया है। नहीं तो उसका दुरुपयोग होगा। खास तौर पर इस देश की संस्कृति और सभ्यता को देखते हुए यूरोप के लोग बड़े विचलित हो रहे हैं। इस पर आचार्य विनोवा जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। सर्वोदय आन्दोलनकारियों ने भी बार-बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग, जो समाज में अपने आप को अगुवा समझते हैं, जो अपने आप को एडवांस समझते हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ न देखते हुए पूरे देश को देखने का प्रयास करना चाहिए।

इस बिल के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं :—

"Notwithstanding anything contained in any other law, exposure of tender parts of the body of a woman or depicting of a nude or semin-nude or scantly dressed in any manner in a magazine, newspaper, book, pamphlet, poster, cinema, television, slides, etc."

मेरा कहने का मतलब यह है कि कानून के अन्तर्गत उसको सजा की बात कही गई है, जुर्माने की बात कही गई है। इसमें एक उल्लेख नहीं है, किन-किन लोगों ने इसको किया, छापने वाले लोग छापेंगे और प्रचार करेंगे। मैं आप से अर्ज करूंगा कि इस के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए।

यह प्रश्न सिर्फ इस बिल से जुड़ा हुआ नहीं है। आज महिला संस्थाओं द्वारा जो आन्दोलन किये जा रहे हैं, वे यदि स्वयं अगुआ हो गई तो यह बड़े शर्म की बात होगी। वे यहां आकर कहें कि हमारी लज्जा को बचाओं, हमारी मर्यादा

की रक्षा करो और हम उस तरफ़ ध्यान न दें, तो यह कैसा लोकतन्त्र होगा। लोकतन्त्र और लोकशाही के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि आने वाले दिनों में समाज के अन्दर अच्छी भावना पैदा हो, लोगों का चरित्र ऊंचा हो, अन्यथा इस का परिणाम बहुत घातक होगा। हमारा समाज यदि यूरोप के समाज की ओर आकर्षित होता गया तो अशान्ति आज वहां फैली हुई है हम उस से बच नहीं सकेंगे। आज वे लोग यहां आ कर अध्यात्य की ओर जाने का प्रयास करते हैं, यहां आ कर शान्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कहीं ऐसा न हो कि हम लोगों को भी कहीं दूर जाना पड़े।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं, आप ने इस अवसर पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया।

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री पटेल साहब ने जो बिल यहां पेश किया है मैं उस का हार्दिक समर्थन करती हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे एक संसदीय भाई ने हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी इज्जत की रक्षा के लिए आज सदन में आवाज उठाई है। हम देखते हैं - आज कुछ ऐसी रीति बनने जा रही है कि जिस की समस्या हो वही उस के लिए लड़े। महिलाओं की समस्या के लिय महिलायें लड़े, वे स्वयं मूवमेन्ट को चलायें-लेकिन इस सवाल को हमारे एक भाई ने यहां पेश कर के बहुत सराहनीय काम किया हैं, इसी लिए मैं उनके बिल का हार्दिक समर्थन करती हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): एक नहीं अनेक भाई यहां समर्थन कर रहे हैं।

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी, हमारा शासन, हमारी समाज व्यवस्था, हमारी संस्कृति और इतिहास महिलाओं की इज्जत बढ़ाना चाहते हैं। इसी लिए स्वतन्त्रता के बाद हम ने अनेक कानून बनाये हैं, लेकिन कानून से हम जो परिवर्तन लाना चाहते हैं मेरा उस में अधिक विश्वास नहीं है। जब तक हमारी समाज व्यवस्था नहीं बदलती है, जब तक कोई अच्छा माहौल तैयार नहीं करते हैं, जब तक सोशल करैक्टर को नहीं बढ़ाते हैं, तब तक कोई कानून हम संरक्षण नहीं दे सकता है। इस लिए मैं ऐसा समझती हूं कि जो विधेयक इस समय हमारे सामने आया है वह एक सामाजिक परिवर्तन, समाजिक व्यवस्था, सोशल करैक्टर और पर्सनल करैक्टर सब के लिये आधारभूत सिद्ध होने वाला है। इसी लिये मैं इस बिल का समर्थन कर रही हूं।

आज हम देखते हैं कि महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिये हम ने कई कानूनों बनाये हुए हैं और कई कानूनों में हम अयेण्डमेन्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उन के बावजूद भी महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, छेड़खानी आदि बढ़ते जा रहे हैं। सर्विस में जाने वाली महिलाओं, खेत में काम करने वाली मजदूर महिलाओं और पढ़ी-लिखी लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जो संसद के भाई यहां बैठे हैं-वे जरा अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि क्या हम यहां सुरक्षित हैं, मैं संसद के अन्दर की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन क्या बाहर हमारी मां-बहनें सुरक्षित हैं ? आज सिनेमाओं का जो प्रचार होता है और जो अश्लील साहित्य बाजार में बिकता है उस की वजह से हमारा सोशल करैक्टर गिरता जा रहा है। मैं तो इस के दो कारण मानती हूं एक तो शराब की दुकानें, यह व्यसन समाज में दिन-रात बढ़ता जा रहा है और दूसरे महिलाओं का प्रदर्शन, ऐसे विज्ञापन जो सभी लोगों में दृष्प्रवृत्ति को जागृत करते हैं।

(श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी)

जहां तक चित्रपट का सम्बन्ध है - सरकार ने सेन्सर बोर्ड बनाया हुआ है - मेरा अनुरोध है कि उस को सुधारा जाय। मुझे पता नहीं उस में काम कनने बाले सदस्य क्या करते हैं। दिन प्रति दिन टी० वी० पर और सिनेमाघरों में हम जिन चित्रों का प्रदर्शन देखते हैं, जिन को हमारे स्कूल और कालिज के लड़के और लड़कियां देखते हैं, स्वाभाविक है कि उन का असर उन पर जरूर पडेगा। इतना ही नहीं, हमारे विदर्भ में कई अखबारों में हम पढ़ते हैं कि वीडिओ पर ब्लू फिल्मज़ दिखलाई जाती हैं।

19.00 hrs.

इतने गन्दे किस्म के चित्रोंका चित्रण हो रहा है कि कई जगहों पर छापे भी पड़े हैं और रात को छापे मार कर विडियो फिल्मों जब्त भी किया है और अखबारों में यह सब आया है। आप कानून से इन चीजों पर वन्धन क्यों नहीं लगाते हैं और जो लोग गलत प्रकार का काम करते हैं और शरारत करते हैं, उन को पकड़ने की कोशिश होनी चाहिए। इस तरह का जो यह बिल आज सदन के सामने आया है, तो इस के बारे में मेरा एक सुझाव यह है कि सिर्फ विज्ञापनों के बारे में ही यह नहीं होना चाहिए बल्कि जो चित्र चित्रपट पर दिखाए जाते हैं जिनमें ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं, या जो विडियो पर ब्लूप्रिन्ट्स दिखाए जाते हैं और जो अश्लील साहित्य प्रकाशित किया जाता है, इन सब के बारे में कड़बे से कड़बा कानून आप को बनाना चाहिए। एक सीमित कानून का ही स्वरूप इस का नहीं होना चाहिए बल्कि एक विस्तृत कानून इसके लिये बनाना चहिए। मुझे मालुम है कि इस प्राइवेट मेम्बर बिल को आम विदड्रा करने के लिए कहेंगे और वह बिदड्रा हो जायेगा लेकिन इस का यह मतलब नहीं है कि यह सिर्फ एक सदस्य की आवाज है। ऐसे प्राइवेट मेम्बर बिल जो सोशल प्राब्लम्स को ले कर आते हैं, उनके बारे में सारे देश की महिलाओं की आवाज़ है। इस लिए शासन की तरफ से एक व्यापक बिल इन सब बातों के लिए बनाना चाहिए जिस से ये जो समाजिक कुरीतियाँ हैं, इन को दूर किया जा सके। मैं विनती करती हूं और यहाँ पर एक वात बताना चाहती हूं कि ऐसा दिन हमें मत दिखाइए जिस दिन इस देश की सारी महिलाओं को इस सिलसिले में ऐसी बातों के खिलाफ़ आवाज उठानी पड़े। मैं आप को बताऊं कि अभी 9 अगस्त को महाराष्ट्र महिला समिति की तरफ़ से एक मेमोरेण्डम महाराष्ट्र प्रशासन को दिया गया है। उस में किसी पार्टी का सवाल नहीं है, किसी ग्रुप का सवाल नहीं है और न किसी जाति या मजहब का सवाल है। यह तो हमारी इज्जत का सवाल है, जिस का बटवारा आम रास्ते पर हो रहा है, जिसकी नीलामी आम रास्ते पर हो रही है और इस संगठन की ओर से यह लड़ाई लड़ी जा रही है और पूरे देश में ऐसा मूवमेंट न उठे, इस के लिए आप को पूरी कोशिश करनी चाहिए। द्रोपदी वस्त्रहरण की जो घटना हुई थी, वह एक बहुत गौखपूर्ण घटना थी, जिस में भगवान कृष्ण ने उस की इज्जत को बचाने के लिए काफी वस्त्र दिये थे और उस पर हमघंटों बात करते हैं और लेक्चर देते हैं लेकिन आज के युग में महिलाओं की द्रोपती जैसी हालत होने से बचाइए।

इतना कह कर मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि स्वतन्त्रता के पश्चात देश में स्त्रियों की दुर्दशा को सुधारने के लिए बहुत से उपाय किये गये और समाज में उन्हें लगभग बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है और जहां कमियां हैं, उनको पूरा किया जा रहा है-लेकिन मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि स्वतन्त्रता के पश्चात जहां हम आर्थिक

रूप से या सामाजिक रूप से कुछ भलाइयाँ कर पाए हैं, उन्नति कर पाए हैं, वहां यह भी सही है कि हम नेतिकता के मामले में बहुत नीचे आ गये हैं। और हमारी नैतिकता पहले से बहुत गिरी है और यही कारण है कि इस प्रकार स्त्रियों के नग्न और अर्द्ध-नग्न चित्र निकाने जा रहे हैं। जो ड्रामे हैं, जो नाटक हैं, उन में भी इसी प्रकार से हो रहा है, जिस में नग्न प्रदर्शन या अर्द्ध-नग्न प्रदर्शन किया जा रहा है। श्रीमन, भारत की सभ्यता और संस्कृति के मूलभूत सिद्धान्तों में नारी को मात्र शक्ति के रूप में देखना और पूजना है।

आज इसका ह्रास होता जा रहा है चाहे विधालयों में देख लीजिए या कालेजों में देख लीजिए, कहीं नैतिकता की शिक्षा नहीं दी जाती हम लोग भी अर्थशास्त्र पर बहस करते हैं, रुपया कितना आना चाहिए, रोटी-कपड़ा और मकान होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करते हैं लेकिन वह रोटी, कपड़ा और मकान नैतिकता के हिसाब से अच्छे चरित्र के हिसाब से ईमानदारी से पैदा किया हुआ पैसे से, परिश्रम से पैदा किए हुए पैसे से हासिल करें, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। इसलिए आज केवल नारी का नग्न प्रदर्शन का सवाल नहीं है बल्कि देश में जो गिरावट आई है वह गिरावट कहां तक पहुंची है, इसको देखने की बात है कामचोरी, आलस्य बढ़ता जा रहा है। बहुत से लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे लेकिन आज नारे इस बात के लगाते हैं "लैस आवर्स एण्ड मोर पे" बाद में आ जाएगा "नो बर्क एण्ड मोर पे।

"किसी भी दफ्तर में चले जाइए। नैतिकता सब जगह समाप्त हो गई है सिर्फ नारी का ही सवाल नहीं है, नैतिकता हर क्षेत्र में समाप्त हो रही है। कोई काम करना नहीं चाहता। दफ्तर में बाबू 10 के बजाए 11 बजे पहुंचेगा और चाय पीने चला जाएगा। एक-दो बजे कहेगा कि अभी तो मैं आकर बैठा हूं। पांच बजे के बजाए चार बजे ही घर चला जाएगा। दफ्तरों में काम नहीं होता। विधालयों में शिक्षक काम नहीं करते। वे भी आंदोलनों में लगे रहते हैं। हम जैसे लोगा भी अपने कर्त्तव्य का पालन करने में कोताही करते हैं।

कहने का तात्पर्य है कि नैतिकता हर जगह समाप्त हो रही है। इस बात को मानने में हमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जब तक इस देश को नैतिक वल नहीं मिलेगा तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता।

आज हड़तालों को बढ़ावा दिया जाता है। जहां काम न करना हो उस काम को लोग बढ़ावा देते हैं। मैं यह नहीं कहता कि हड़ताल नहीं होनी चाहिए लेकिन यह भी देखना चाहिए कि प्रोडक्शन हम गिरा रहे हैं। किन कारणों से गिरा रहे है। समस्त देश पर इसका असर पड़ता है। मैं इस बात में ज्यादा नहीं जाना चाहता। मैं भारत का स्वरूप बताता हूं। प्रचीन काल में भी हमारे यहां नर्तकियां थीं। किसी पत्थर की मूर्ति किसी नर्तकी को देख लीजिए वह भी पूरे वस्त्रों से अलंकृत होती थी पूरे वस्त्र पहने रहती थी कहीं भी देख लीजिए आज का हिसाब क्या है। आज आने वाले हर सिनेमा में नग्न प्रदर्शन के नए-नए फैशन प्रतिदिन निकलते हैं। यह दिखाया जाता है कि कम से कम कितने कपड़े पहने जाएं। अब ब्लाउज यहां तक पहुंच गया है। कंधे के दोनों और हाथ खुले हुए रहते हैं। पेट तीन चौथाई खुला हुआ रहता है और नीचे तो अंडरवियर ही रह गया है। जितने भी सिनेमा बनते हैं हर बार नए फैशन बताते हैं और बताते हैं कि नारी को नग्न करने के कितने प्रकार हो सकते हैं। नारी कितनी नग्न हो सकती हैं इसमें सिनेमा अपनी सारी बुद्धि खर्च करने में लगे हुए हैं।

(श्री हरीश कुमार गंगवार)

सिनेमा में जो पिक्चर्ज दिखाई जाती हैं उन पर स्ट्रिक्ट सैंसरशिप होना चाहिए। देख कर आश्चर्य होता है कि जिस पर एडल्ट लिखा होता है उसे देखते हैं तो सोचते हैं शायद इस में सैक्सी सीन होंगे लेकिन जब देख रहे होते हैं या देख चुकते हैं तो पता चलता है कि ऐसी बहुत सी और भी फिल्में देखी हैं जो इससे भी ज्यादा सैक्सी थीं...सैक्स का प्रदर्शन उन में...किया गया था और वे यूनिवर्सल चल रही थीं। पता नहीं सैंसरशिप क्या बला है या वहां भी कोई रिश्वत का धंधा चल पड़ा है कि कितना पैसा दे दो और जो चाहे पास करवा लो। इन सब चीजों की बुनियाद सिनेमा तो जरूर है। और भी बुनियादें होंगी लेकिन सिनेमा सब से बड़ी बुनियाद है बच्चे और बच्चियों को खराब करता है मातृ शक्ति की पूजा के बजाय अब ईव टीजिंग होता है लेकिन उसके लिए कुछ न कुछ सामाजिक दोष भी जिम्मेदार है। क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं कि देश की बहनें और बच्चियाँ ऐसा पहनावा पहने जिस में नग्नता कम से कम हो ? सलवार कुर्ता, साड़ी और आधी बांह का ब्लाउज, कौन सा बुरा परिधान है। लेकिन तब कहा जाएगा कि हम जो चाहें क्या नहीं पहन सकती हैं ? हो सकता है कि कुछ स्त्रियां भी चिल्लाने लगें कि हम बराबर है, जैसा चाहें पहनेगी। अगर देश में कुछ करना है तो यह नग्न प्रदर्शन रोकना बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है कि स्कूल की बच्चियां और बच्चे जो पढ़ने जाते है. उनके परिधान की और भी ध्यान देना होगा। कानून से ही काम नहीं चलेगा। इसके लिए समाजिक आन्दोलन करना होगा जैसे देहज के लिए कर रहे हैं।

कोई आप उपन्यास, किताब ले लें सब पर नौजवान लड़कियों का आधा नंगा चित्र जरूर आपको मिलेगा। सिग्रेट हो, कैम्पा कोला हो, कोई और मेय हो, वस्त्र की दुकान हो, लोहे की हो, अल्मारी की हो, होटल हो. पान बीड़ी की दुकान हो, वहां भी स्त्री का वही अर्ध नग्न चित्र मिलेगा और वह भी नौजवान का होगा। बूढ़ी का हो तब भी कोई एतराज नहीं लेकिन नौजवान का होगा। यह सब जो देश में चल रेहा है इससे बड़ी नैतिक गिरावट आ रही है। इसको जन आन्दोलन समाज के आन्दोलन का एक रूप दिया जाना चाहिये कानून भी बने लेकिन जहां-ज़हां स्त्रियों के चित्र या पोस्टर लगे हों, उनको फाड़ा जाए, उनको लगाने से रोका जाए, सिनेमाओं पर पिकिटिंग की जाए, देश में अधिक सौन्दर्य या नग्न प्रदर्शन था जिन में सैक्स ज्यादा दिखाया गया हो उन फिल्मों को न चलने दिया जाए। ये कुछ कारगर उपाय हमें करने होंगे। तब जा कर जो भावना इस लक्षित की गई है वह पूरी होगी और बिल का मैं समर्थन करता हूं।

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY (Amalapuram) : Whenever a Private Member's Bill or Resolution concerning any of the social problems of our country comes up for discussion, Government must take it very seriously. Always, the Private Members' Business amounts to a verbal exercise in futility. But whenever it relates to social problems, Government must take it seriously.

There are so many social problems in this country like dowry system, bonded labour, untouchability, rape and the concept of this obscenity exploited for commercial purposes.

Our society suffers, not because of bad laws but because of bad implementation. This is one area where we do not have any dearth of a legal system, but of its implementation. My hon. friend Mr. Patel, when he was moving the Bill, emphasized the need for bringing about a fool-proof legal system. Of course, it is, necessary ; but that itself is not the solution. The solution lies in implementing it, and implementing it very sincerely.

Actually, times and values have changed; and are expected to undergo a significant change. We all know that change is the law of life; but the change should be for the better, and should not lead to degrading of human values, and human dignity.

Regarding the concept of obscenity, which is the subject matter for this discussion even legal experts are not able to come to a proper conclusion, because the concept differs from country to country, and from generation to generation. But the basic human dignity and human values remain the same everywhere. This is an important aspect. Why ? Because this concept or issue is being exploited in the name of freedom. As my hon. friend correctly mentioned, Article 19 of the Constitution refers to individual freedom. But freedom is a relative term. Freedom does not mean licence. An individual's freedom should not restrict the freedom of his neighbour. Therefore, when one is exercising his freedom, he should also keep in mind the feelings of his neighbours. Man is a social being, and he cannot run away from society. So, he should not exercise his individual freedom to the detriment of the society, or to hurt his neighbour. This is an important aspect.

Coming to this aspect of exposure of woman's body, it is a serious problem relating to our social life. We come across it day by day in various forms. In various guises they are try to exploit this for commercial purposes; and this is creating a social problem, particularly to the growing generation. This is exercising a tremendous influence in depraving and corrupting the youth of this country. We think that the nation's greatest and precious asset is its youth; and they are the future guiding factors of the nation. So, Government has an important responsibility to see that this problem does not corrupt the minds of the youth. Government must also take steps to see that the practices relating to obscenity are greatly restrained.

For that they must revise and upgrade, if necessary, the whole legal system and try to bring a comprehensive legal system from the government side. After making this verbal exercise, generally the Private Members' Resolutions and Bills are withdrawn. But this kind of a problem must be seriously taken by the government and they must see that a comprehensive solution is found in the legal field. Not only that, after bringing a comprehensive legal system, the government must take care to see that it is properly implemented; that is very important.

In this respect, I would like to bring to the notice of the government that in the name of tackling various problems, we come across the exposure of women bodies, particularly the innocent tribal women. They pose that they are trying to solve the problems of tribals, but under various guises they expose the bodies of the innocent tribal women. This is a very serious matter; they need not do it. If they try to tackle various problems, there are ways and means to do it. They can understand them; they can examine them. They can offer solutions and then implement them. But, whenever, we come across those people, who write books on tribal problems at every page they try to expose the bodies of innocent women. This is a very serious matter. I request the government to take a serious note of this. In this way, even today women bodies are being portrayed in various degrading manners.

Once a serious exercise was made by Khosla Enquiry Committee, but they had not offered a proper solution. G.D. Khosla, former CJ was on the Khosla Enquiry Committee on the films censoring in India. They gave a serious thought to it. The Committee also emphasised aesthetic values. I was not able to understand the approach to this clearly. But the main problem is how it is affecting the society.

Some people argue in the name of religion, in the name of spirituality that this obscenity was exploited very greatly; and they cite the examples of sculptures in Konarak and Khajuraho. We also see in various advertisements that they try to immitate these postures; and they also go to the extent of immortalising them for their selfish ends and commercial ends. This must be taken a serious note of by the government.

But now-a-days, they try to take advantage of these postures for their selfish ends, they try to corrupt the minds of the people and the youths. Therefore, I would like to

(Shri Kusuma Krishna Murthy)

strongly urge upon the government to take a serious note of this situation. This happens to be a social problem and the government, if necessary, have to appoint a committee consisting of a cross-section of the society so that they can elicit correct information and opinion basing on which we will have the recommendation for the benefit of government to formulate proper laws. After enacting them, the government must take serious note to see that they are properly implemented to eradicate social evils. Thank you.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह केवल महिलाओं के नग्न चित्रों के विज्ञापनों ही का सवाल नहीं है, हमारे यहां महिलाओं के प्रति दृष्ठिकोण का सवाल है। महिलाओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, यह बहुत बड़ा सवाल है। इस बारे में दुनिया में दो दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण समाजवादी देशों में है। वहां केवल कानून तथा व्यवहार में, जीवन के हर क्षेत्र में, महिलाओं को समान दर्जा ही नहीं दिया जाता, बल्कि पुरुष और महिला दोनों समाज के विकास में योगदान करने वाले माने जाते हैं। और माना ही नहीं जाता है, व्यवहार में भी दिनरात उसको हम देखते हैं। तो वहां पर इस तरह की घटनायें नहीं होती हैं अगर कहीं हो भी तो सरकार फौरन उसको रोकती है और इस तरह की बातें चलती नहीं हैं। तो एक यह दृष्टिकोण समाजवादी मुल्कों में महिलाओं के प्रति है और एक दूसरा दृष्टिकोण पूजीवादी देशों में है जिसमें हम भी शामिल हैं। पूजीवादी देशों में कहने के लिए महिलाओं को बराबर के अधिकार हैं। कुछ क्षेत्रों में उन अधिकारों का उपभोग महिलायें करती भी हैं लेकिन मुख्य रूप से हमारे देश में या इस तरह के दूसरे मुल्क में महिलाओं को भोग बिलास की वस्तु माना जाता है। यह सबसे चिन्ता की बात है और निन्दनीय भी है कि जहां हम महिलाओं को समाज को आगे बढ़ाने में हिस्सेदारी के रूप में स्वीकार करें वह बात व्यवहार में आम तौर से नहीं हो रही है। यही वजह है कि हमारे नौजवानों की वासना को उभारने के लिए सिनेमा घरों में, अखबारों में, पत्रिकाओं में और पुस्तक महिलाओं के नग्न चित्र प्रदर्शित होते हैं। इस दृष्टिकोण के खिलाफ एक व्यापक आन्दोलन चलाने की आश्यकता है। साथ ही साथ हमें समाज भी बदलने की जरूरत है। बुनियादी बात यही है कि जितनी बीमारियों हमारे मुल्क में आ रही हैं वह समाजवादी देशों से नहीं आ रही है क्योंकि वहाँ पर यह बातें नहीं हैं, पूंजी वादी देशों से जैसे इंग्लैंड, अमरीका पैरिस से ही आ रही है। अभी मुझे एक पार्लमेन्टरी डेलिगेशन के सिलसिले में पैरिस जाने का मौका मिला था, वहां मैंने देखा कि प्रैक्टिकली बिल्कुल नंगी औरतें होटलों और सड़कों पर चल रही हैं। वहां इसको बहुत अच्छा माना जाता है लेकिन हमारे देश में इसको अच्छा नहीं माना जायेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : वे अच्छा बुरा कुछ भी नहीं मानते।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने वहां पर तस्वीर नहीं बल्कि हाड़-मांस की औरतें प्राय: नंगी होटल में देखीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें समाज को बदलना होगा। महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार होगा, यह बात समाज-व्यवस्था से जुड़ी हुई है। इसलिए हम कानून जरूर बनावें, हम प्रचार भी करें और पिछले दिनों हमने बहुत से काम किए भी है समाज-सुधार के क्षेत्र में और उनको हम करते रहेंगे लेकिन उसका बुनियादी हल तभी निकलेगा जब हमारी समाज व्यवस्था बदलेगी और नयी समाज-व्यवस्था आयेगी जिसमें नारियों को सबसे ज्यादा सम्मान मिल सकेगा। आज

पूंजीवादी देशों में कितना भी भाषण दे लें लेकिन महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिलता है, उनको भोग विलास की वस्तु मानकर ही चलते हैं। इसीलिए इस तरह की बातें हो रही हैं।

आखिर में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सोवियत यूनियन में 1917 में महान लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई। उन्होंने क्रांति भी की और समाज को बनाने का भी काम किया।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Sex education is a compulsory subject in the Soviet Union.

श्री रामावतार शास्त्री : सब्जैक्ट तो यहां भी रखना चाहिए, ताकि एक दूसरे को समझें। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जब इंकलाब हुआ तो पूंजीबाद की सडांन्ध वहां भी थी। तमाम पूंजीवादी देश डिकेइंग की तरफ जा रहे हैं, तो इस मामले में भी जा रहे हैं। कुछ लोगों ने ग्लास-वाटर-थियोरी प्रोपाउन्ड करने की कोशिश की। इसका मतलब यह कि जैसे हम गिलास में पानी पीते हैं, एक गिलास में हम भी पीते हैं, बाजपेयी जी भी पीते हैं और उपाध्यक्षजी आप भी पीते हैं, तो वैसे ही महिलाओं के प्रति भी दृष्टिकोण होना चाहिए। ...(व्यवधान)... मैं यह कह रहा था कि लोगों ने कुछ बहकी हुई बात, डिकेइंग बात, नफरत वाली बात कही और औरतों के प्रति जो उनका पुराना रवैया था उस कापरिचय दें रहे थे। लेनिन ने बहुत सख्ती के साथ कहा कि यह बात हमारे समाज में नहीं चल सकती है और हमारे दल में नहीं चल सकती है। सख्ती के साथ उसका पूरे देश में प्रचार किया गया। ग्लास वाटर थ्योरी की जो लोग बात करते हैं, वे पूंजीपतियों के समाज की सडांध को कायम रखना चाहते हैं। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। शासक वर्ग की बहुत बड़ी जबाबदेही होती है। उस समय लेनिन शासक हो चुके थे। जहां तक समाज का सवाल है, यदि हम चाहते हैं कि समाज में महिलाओं के नग्न चित्र न निकलें और नौजवान उनको छिंटा-कसी न कर सकें तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि हमें समाज में परिवर्तन लाना होगा व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। कानून के जरिए भी काम करना होगा। उससे ज्यादा जन-आन्दोलन खड़ा करके हम इस तरह की भावना को खत्म कर सकते हैं और महिलाओं की प्रतिष्ठा को चार-चान्द लगा सकते हैं। यही कह कर में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, नग्नता धीरे-धीरे हमारे समाज में सभ्यता का प्रतीक बनती जा रही है,। जहां गरीबी है, शील भी है, लज्जा भी है और जहां तरक्की है, उन्नति है, नई रोशनी है, वहां फैशन परस्ती भी है। आप गांव के डिग्री कालेज को ही ले लीजिए। देहातों में कालेज जाने वाली लड़कियां बाजू तक की स्लीवज के कपड़े पहने हुए मिलेंगी, जबकि यहां पब्लिक स्कूल में जाने वाली लड़कियों को आप देखें, जिनको अच्छे समाज की लड़कियां कहा जाता है, उनको देखने से ऐसा लगता है कि कोई फैशन की परेड़ चल रही है। गांव में कोई सौन्दर्य प्रतियोगिता नहीं होती है, लेकिन शहरों में, जिनको समाज का अगुवा कहा जाता है, जो नई दिशा देने वाले लोग हैं, ऐसी सौन्दर्य प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हैं या उनकी अध्यक्षता करते हैं। इसी प्रकार की स्थिति को कानून से नहीं रोका जा सकता है। कानून चाहे आप कितना ही बना दीजिए। मैं समझता हूं कि उससे हम इसको नहीं रोक पायेंगे हम पश्चिमी सभ्यता के नजदीक आते जा रहे है। पश्चिम सभ्यता की कमजोरियां

(श्री हरीश रावत)

धीरे-धीरे हमारे समाज में जड़ पकड़ती जा रही है। उनको अपनाने के लिए हम एक प्रकार से अपना धर्म मानते जा रहे हैं। हम सोच रहे है कि यह हमारी तरक्की है, उन्नति है। इस विषय में तो हम सबको अपना दिल टटोलना पड़ेगा आज मोडलिंग एक प्रकार से फैशन बन गया है। ऐसी लड़कियां जो मजबूरियों में फसी हैं, उन के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और उनको आर्थिक रुप से रिहैबलिटेट करना चाहिए, लेकिन जब अच्छे धर की लड़कियां मेाडलिग करती हैं, तो उनको कौन रोक पाएगा ? अगर लस्कर साहब उन को कोई कानून बना कर रोक सकते हैं तो लस्कर साहब जानें, या वाजपेयी जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन के अनुभव में कोई बात हो तो वह बतला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि जहां फैशन के नाम पर मोड़लिंग हो रही हो उस को आप रोक पायेंगे। आंज बड़ी-बड़ी कम्पनियों को विज्ञापन और विजनेस प्रमोशन के नाम पर इन्कमटैक्स में छूट दी गई है। वे एडवटइिज करते हैं, माडल गर्ल्ज को रखते हैं, उन के जरिये विज्ञापन प्रदर्शित करते हैं, ऐसे-ऐसे विज्ञापनों को प्रदर्शित करते हैं जिन को देख कर लज्जा आती है। लेकिन उन को व्यापार को बढ़ाने के नाम पर छूट दे रखी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि वह कम से कम इस दिशा में वित्त मंत्री जी को सलाह दे सकते हैं कि ऐसे मोडलिंग के नाम पर जो छूट मिली हुई है उस को रोकना चाहिये। इस के लिए यदि वह किसी प्रकार का प्रावीजन कर सकते हैं तो वह करना चाहिये। आज हमारे यहां जितने होटल्ज खुल रहे हैं उन में जो सरकारी क्षेत्र में हैं, जिन को आइ. टी. डी. सी. चलाती है उन में भारतीय संगीत और नृत्य दिखलाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट सैक्टर में हैं उन में न्यूड डांसेज दिखाने की छूट है। उन के विज्ञापन निकलते हैं कि आज किस-किस का डांस होगा और उन के पौजैज निकलते हैं। दिल्ली में कई ऐसे रेस्टरां हैं जिन में एक से एक नग्न कैबरे डांस दिखलाये जाते हैं। इन को रोकने के लिये पुलिस की मदद ले सकते हैं और जो बड़े-बड़े होटल्ज हैं उन में कानून की मदद से रेस्ट्रिक्स कर सकते हैं।

सिनेमा के विषय में अभी बहुत कुछ कहा गया है। सैंसर बोर्ड की ईमान्दारी पर जो संदेह प्रकट किया गया है, वह वास्तविकता है। सैंसर बोर्ड कभी तो अच्छी फिल्मों को काट कर रख देगा, कोई दृश्य उस की कलात्मकता की दृष्टि से जरूरी है तो उस को काट देगा, लेकिन कहीं पर किसी गाने का कोई मतलब नहीं है और उस से ऐसा प्रतीत होता हो कि वह सैक्स को इन्वाइट कर रहा है तो वे उस को जाने देंगे। सैन्सर बोर्ड पर सरकार का नियन्त्रण है और सरकार को इस नियन्त्रण को प्रभावशाली तरीके से लागू करना चाहिये। उस का गठन इस प्रकार का कर दीजिये कि उस में महिलायें रहें और फिर देखिये कि वे किस प्रकार से उस को समझती हैं और जो सीन ठीक नहीं होगा उस को काट देंगी। उस में पुरुष की जगह महिला को प्रधान लगा दीजिये।

अच्छे सहित्य के नाम पर कोई चीज छपे तो ठीक है, लेकिन आज फुटपाथ वाला जो साहित्य छप रहा है उस ने तो इन्तिहा ही कर दी है। बहुत सी ऐसी मैगजीन्ज छपती थी जो अच्छा साहित्य छापती थीं, लेकिन जब फुट-पाथ पर दूसरी तरह का साहित्य बिकने लगा तो उन्होंने भी उसी तरह का साहित्य छापना शुरु कर दिया उन्होंने सैन्सेशनल न्यूज छापना शुरु कर दिया, उन में किसी पोलीटिशियन के बारे में कोई सैन्सैशनल न्यूज छाप दें या कोई सैक्स के विषय को परिलक्षित करने वाली न्यूज छाप दें तो वह

स्वाभाविक है बहुत जल्दी बिकेगा। इस तरह का साहित्य स्वाभाविक है हमारी जनता पर बहुत खराब प्रभाव डालेगा। हमारे पास इन सब चीजों के लिये कानून में प्रावजीन है - इस विषय में आप को सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

जो लोग अंग प्रदर्शन को शौकिया कर रहे हैं या मोडलिंग का काम कर रहे हैं उन को तो आप नहीं रोक सकते। जो लोग पदमिनी कोल्हापुरे टाइप या जीनत अम्मान टाइप या रेखा टाइप है, मुझे बहुत जानकारी नहीं है, जिन के पास काफी पैसा है और उस से अपना नाम...

श्री अटल बिहा ी बाजपेयी : वे लोग यहां मौजूद नहीं है, इस लिये उन का नाम नहीं ले सकते।

श्री हरीश रावत : आप को कोई आब्जैक्शन है ? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप को अब्जैक्शन नहीं है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : उन का नाम ले कर आप उन को बढ़वा दे रहे हैं क्या यह रोकने का तरीका है ?

श्री हरीश रावत : मैं नाम नहीं ले रहा हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : नाम लेने से उन का मर्तबा बढ़ जाता है।

श्री हरीश रावत : मैं बाजपेयी जी की सलाह मान लेता हूं। इस तरह से कहता हूं कि जिन के बड़े अच्छे नाम हैं उस के बावजूद भी वे नग्नता को स्वीकार कर रहे हैं, उन को आप नहीं रोक सकते हैं लेकिन जो मजबूरी इस पेशे में फंसे हुए हैं सरकार को उन की मदद करनी चाहिये।

श्री रामावतार शास्त्री : सरकार क्यों रोक नहीं सकती है। उन के ऊपर भी रोक लगा सकती है।

श्री हरीश रावत : सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं पटेल साहब को धन्यवाद देता हूं वे इस बिल को यहां लाये

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : जनाब डिपुटी स्पीकर साहब, आज मैं हिन्दुस्तानी में इस बिल पर बोलना चाहता हूं ताकि इस सदन में बैठे हुए मेरे रफ़ीक, मेरे साथी जो हैं, उन के दिलों पर मेरी बात का जरा ज्यादा असर पड़े।

सवाल यह है कि मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूं जो यह मानते हैं कि औरतों को अपने घरों कि चारदीवारी में कैद होना चाहिए। मैं तो यह मानता हूं कि औरतों को जिन्दगी के हर शोवे में, हर मैदान में सामने आना चाहिए। यही नहीं कि वे पार्लियामेंट में आ जाएं बल्कि रोजगार के जो वसीले हैं, वहां पर भी उनको आना चाहिए चाहे वह फौज का मैदान हो और चाहे कारोबार हो, चाहे कारखाना हो, चाहे फैक्टरी हो और चाहे एसेम्बली हो या पार्लियामेंट हो। उस हद तक औरतों को आजाद होना चाहिए और विला-शुवाह, इसमें कोई शक नहीं है कि औरत मर्द के बराबर सोसाइटी की जिन्दगी में हिस्सा अदा कर सकती है। दरअसल बात यह है कि किस हद तक औरत को आजादी दी जा सकती है। यह दरअसल हमारा कसूर है और अभी जो रावत साहब बयान कर रहे थे, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने उस हद तक इसको समझा नहीं। असल हद शुरु होती है कि क्या हमें वेस्टर्नइज्म को मानना चाहिए या मोडर्नइज्म को मानना चाहिए हम हर चीज को वेस्टर्नइज्म मानते हैं। सवाल

(प्रो, सैफुद्दीन सोज)

यह है कि हमें किस हद तक नकल करनी। चाहिए। जो विलायत में रहने वालों की जिन्दगी है' अमेरिका में रहने वालों की जिन्दगी है, केनाडा में रहने वालों की जिन्दगी है। उन की जिन्दगी में खूबी हो सकती है लेकिन हजार खराबियां भी हो सकती हैं। हम को उनकी कल्चर से चुन-चुन कर चीज़ों को लेना होगा। हिन्दुस्तान में एक बड़ी वजा यह है कि जो भी वेस्टर्नइज्म है, उसकों हम तरक्की मानते हैं और उसकी नकल करते हैं। जहां वहां पर वेस्टर्नइज्म है, वहाँ माडर्नइज्म भी है और जो सनअती इन्क्लाव आया था, वह विलायत में ही शुरू हुआ था। उनके यहां मशीनें आ गई और उन की वजह से वहाँ पर तरक्की कहाँ पहुंच गई, उनकी तरक्की एक आला मंजिल तक पहुंच गई। तो जो मोडर्नइज्म है उन को मानना चाहिए और उसके रास्ते से तरक्की ज्यादा हो सकती है इस को आप इमेन्सीपैशन भी कह सकते हैं। इमेन्सीपैशन के रास्ते में हिन्दुस्तान में सैक्स एजूकेशन भी बिला-शुवाह दी जा सकतीहै। चाहे लड़की हो या लड़का, उस में कोई रुकावट नहीं हो सकती और उस में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि जो एक्सपर्टस होगें वे कोर्स बनाएगें और उस को पढ़ाया जाएगा। जैसाकि कहा गया कि रूस में सैक्स एजूकेशन दी जाती है और रामावतार शास्त्री जी ने लेनिन का नाम ले कर मेरे अन्दर जजवा पैदा किया कि रूस में अभी तक यह रवायत कायम है। वहां पर सैक्स एजूकेशन देने से कोई बुरा असर नहीं पड़ा जैसा कि हम स्वीडन की सोसाइटी में, स्विटजरलैंड और इंगलिस्तान में देखते हैं। इसलिए मैं यह मानता हू कि हम को मोडर्नइज्म के रास्ते से सैक्स एजूकेशन देनी चाहिए और हम को तरक्की के रास्ते से औरतों को आजादी देनी चाहिए और सिर्फ सैक्स एजूकेशन ही नहीं, महिलाओं को को-एजूकेशन देने में कोई खराबी नहीं है क्योंकि जब हम उन को सेग्रीगेट करते हैं, लड़कों को अलग रखते हैं और लड़कियों को अलग रखते हैं, तो उन में एक किस्म का शौक और एक किस्म की खोज़ करने की आदत पड़ती है और साइकोलोजी के खिलाफ वह जाती है। जब एक साथ वे रहते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, तो इमोशनल इनटेग्रेशन होता है और उस वक्त उतनी खराबी नहीं होती है। जितनी खराबी उस वक्त होती है जब हम दोनों सैक्सों को सेग्रीगेट करते हैं। लिहाजा खास मसला यही है कि किस हद तक हम औरतों को आजादी दें।

इसी सिलसिले में मैं थोड़ा सा और बोलना चाहता हूं। एक जमाना था जब "ब्लिट्स" हफ्तावार अखबार करंजिया का 20 बरस पहले भी निकलता था और उस वक्त लोग उसका इंतज़ार यह देखने के लिए कि इसके आखिरी पेज पर लड़की का कैसा पोज बना है। लेकिन आज इस मामले में करंजिया का वह अखबार बहुत पीछे रह गया है। हिन्दुस्तान में "स्टार गैस्ट", "फिल्म फेयर" या "बांबे" जैसे घटिया किस्म के रसाले ही नहीं बल्कि हमारे संजीदा अखबार और बहुत अच्छे मैगजीन हैं "संडे", इंडिया टू डे" है जिनका स्टेंडर्ड बहुत बढ़ गया है, लेकिन उनको भी तब तक चैन नहीं आता, उनके एडीटोरियल स्टाफ को तब तक चैन नहीं आता जब तक उनके एडवर्टीजमेंट में औरत की तसवीर न आए। जब तक वे औरत के ज़िस्म की नुमाइश न करें।

इसलिए आज हिन्दुस्तान में इस मर्ज को किसी जगह रोकना चाहिए। हमें दरअसल यह सोजना है कि क्या एडवर्टीजमेंट और पोर्नियोग्राफी में कोई फर्क है या नहीं।

अभी रामावतार शास्त्री जी फ्रांस का जिक्र कर रहे थे। हमें कभी वहां जाने का

मौका नहीं मिला, लेकिन वहां की एक फिल्म देखने का मौका जरूर मिला था। वही सवाल है कि हम उस वेस्टनिज्म को अपनी जिंदगी से काट सकते हैं मुझे विश्वास है कि हिन्दुस्तान उस लेबल को कभी कुबूल नहीं करेगा। स्वीडन में, फ्रांस में पोस्टकार्ड पर जिस पर आप खत लिखेंगे उस पर भी औरत की नंगी तस्वीर छपी होगी। वही फिल्म स्क्रीन पर आता है और तीसरी स्टेज वहां आ गई है, जिसे हम समझते हैं कि वे जलालत की जिंदगी पर आ गए हैं, स्टेज पर उसका प्रेक्टीकल परफामेंस होता हैं। अगर हम पोर्नोग्राफी और एडवर्टीजमेंट में फर्क नहीं करेंगे तो लगता हैं कि हम भी धीरे-धीरे उसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं

मैं अपने साथी को जबरदस्त मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने यह बिल सामने रखा और मैं चाहता हूं कि इस पर हम बड़ी संजीदगी से गौर करें और इसको रोकें। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि हद मुकरर की जाए एडवर्टीजमेंट के लिए। मां के रुप में औरत आ सकती है बच्चे को बिस्किट खिलाते हुए। बहन के रुप में आ सकती है और एक हसीन औरत के रुप में भी आ सकती है। अभी एक माननीय सदस्य शहर और देहात का फर्क कर रहे थे। मैं उनको वताना चाहता हूं कि यही दिल्ली की तहजीब दो चार साल में गांवों में भी पहुंच जाएगी। जो ब्लाउज यहां है वहीं गांव में भी पहुंचने वाला है।

मैं कल खान मार्केट में एक फोटोग्राफर की दुकान पर गया। वहां पर मैंने दखा कि एक औरत की पूरी नंगी तस्वीर लगी हुई थी।

That was hung there for attraction. The same method is adopted for advertisement in various magazines.

मान्यवर, जब हम मानते हैं कि औरत की तस्बीर किसी हद तक इस्तेमाल हो सकती है एडवर्टीजमेंट के लिए, माडर्न होने का तकाजा आप पूरा कर सकते हैं लेकिन जो हद से ज्यादा रुझान बढ़ गया है उस पर रोक लगाना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस सदन के सम्माननीय सदस्य श्री पटेल साहब को बधाई देता हूं जिन्होंने इस बिधेयक को लाकर के नारी जाति के प्रति सहानुभुति प्रदर्शित की हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I would like to hear both the young and the old.

PROF. N,G. RANGA (Guntur) : We would like to have one more hour next time.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Does Shri Chandra Pal Shailani come under the category of the old or the young ? I think he comes under the category of middle aged ones.

SHRI HARISH RAWAT : Older people are younger by heart.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : Our elder Rangaji suggested extension of time by one more hour. We have no objection.

श्री चन्द्रपाल शैलानी : इस विधेयक को लाने के पीछे माननीय सदस्य का इरादा बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी भावनाएं हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आज के युग में वैज्ञानिक युग में मुझे यह ब्यावहारिक नहीं मालूम पड़ता। आज जो कम्पनियां, जो फर्म घटिया से घटिया सामान बनाती है, कपड़ा, सौंदर्य सामग्री आदि बनाती हैं वे विज्ञापनों पर अधिक से अधिक राशि खर्च करती है और उनकी बिक्री भी अधिक होती है। यही कारण है कि स्त्रियों के शरीर का नंगा प्रदर्शन किया जाता है इन विज्ञा-

(श्री चन्द्रपाल शैलानी)

पनों में फिर चाहे यह सिनेमा हो, प्रेस हो, पत्र पत्रिकायें हों या दूर दर्शन आदि हो। यह प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन पत्र पत्रिकाओं में आदमी के मस्तिष्क की क्षुधा को शान्त करने के लिए, दिमाग की भूख को मिटाने के लिए जहां कुछ भी नहीं होता है, घटिया मसाले से उसको भर देती हैं, कवर पर और अन्दर स्त्रियों के फोटो छापती हैं, उसके अंगों का प्रदर्शन करती है और इन चित्रों को देख कर छोटी आयु के बच्चे भी बड़े लालायित होती हैं, उनको पढ़ते है हालांकि उनका पैसा निर्थक जाता है। इस प्रकार की पत्र पत्रिकाओं पर किस प्रकार काबू पाया लाए, इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार करने की आज जरूरत है।

अच्छे अच्छे परिवारों की स्त्रियां आजकल मोडलिंग करने लग गई हैं और यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। कुछ गरीब परिवारों में भी लड़कियाँ पैदा हो गई हैं जो देखने में सुन्दर होती हैं, वे भी माडलिंग करने लग गई हैं अपना खर्चा चलाने के लिए चूंकि उनको नौकरी नहीं मिल पाती है या कोई और वजह होती है। आज के युग में फिल्म स्टार माडलिंग करते हैं, अच्छे अच्छे परिवारों की, अमीर घरानों की लड़कियां करती हैं। यह जो पाश्चात्य सभ्यता है जिस में हम प्रवेश करते जा रहे हैं, नई पीढ़ी अंधी होकर उसका अनुसरण कर रही हैं, यह भी एक चिन्ता का विषय है।

जहां तक विज्ञापनों का सम्बन्ध है, उन में जो फोटो छापे जाते हैं वह तो कागज की तसवीर है लेकिन अफसोस तब होता है जब हमारे देश में इस तरह की प्रवृत्ति पनपती जा रही है कि नाइट क्लब्ज़ भी हमारे देश में हो गई हैं, बड़े-बड़े होटल हैं जहां नंगे नृत्य होते हैं, कैब्रे होते हैं। राजधानी में तो होते ही है, बड़े बड़े शहरों में तो होते ही हैं, लेकिन अब तो ये गांवों और देहातों में भी जो स्वांग और नाटकियां होती है वहां भी यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता हूं कि अगर हम प्राचीन अपनी सभ्यता को देखें, संस्कृति को देखें तो उस युग में भी स्त्रियों का नंगा प्रदर्शन होता था। आपने कोणार्कया खजुराहो को देखा होगा। वहां पत्थर की मूर्तियों पर स्त्रियों को नग्न अवस्था में दिखाया गया है और बड़े-बड़े ऋषि मुनियों को आप उनके साथ देख सकते हैं। मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह विचारणीय प्रश्न है कि प्राचीन काल से स्त्रियों के अंग प्रदर्शन होते चले आ रहे है क्या यह हमारी सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिये।

जहां तक विज्ञापनों का सम्बन्ध है मैं कह चुका की हूं नकली चीजें और घटिया किस्म की चीजें बनाने वाले इन पर ज्यादा पैसा खर्च करते है। आज का जमाना बड़ी तड़क भड़क और फैशन का है। नई पीढ़ी खास तौर से इस तरह की चीजों को देखने की आदी होती जा रही है। जिन फिल्मों में कहानी और शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं होता, केवल भौंडे नृत्य और गाने तथा स्त्रियों के अंगों का प्रदर्शन किया जाता है वह फिल्में धड़ाधड़ चलती हैं और हाउस फुल जाते हैं। जिन फिल्मों से आदमी कुछ सीखता है, वह सिनेमाघरों में नहीं चल पातीं, उनके मालिक और निर्देशक रोते हैं।

सैंसर बोर्ड के सम्बन्ध में जो विचार यहां पर प्रकट किये गये हैं, मैं उनके साथ अपने को मिलाता हूं और सरकार को इस बारे में कोई अंकुश लगाना चाहिये।

नवम्बर, 1970 में दिल्ली में सातवीं एशियई विज्ञापन कांग्रेस के समक्ष तत्कालीन सूचना तथा प्रसारण मंत्री श्री सत्य नारायण

सिंह ने विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन प्रस्तुत-कर्ताओं से अपील की थी कि वह विज्ञापनों के लिये एक आचार-संहिता कर निर्माण करें स्पष्ट है कि मंत्री जी का इशारा समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में छपे कामोत्तेजक विज्ञापनों की तरफ था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात मंत्री जी की जानकारी में है ? यदि हां तो क्या सरकार अपनी तरफ से इस बारे में कोई आचार-संहिता बनाने की दिश में जल्दी से जल्दी ठोस और प्रभावकारी कदम उठायेगी ?

यदि ऐसा किया गया तो भाई पटेल जी ने जो विधेयक पेश किया है, उन्हें और उन जैसे करोड़ों भाइयों की भावनओं को सकून मिलेगा और उनकी इच्छा की पूर्ति होगी और विज्ञापनों में स्त्रियों के अंग-प्रदर्शन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

मैं जोरदार शब्दों में सरकार से अपील करूंगा कि खराब और घटिया माल बनाने वाले लोग, जैसे मिल्क पाउडर, कपड़ा, प्रसाधन सामग्री इत्यादि चीजों की अधिक विक्री के लिए उसके प्रचार में अखबारों में और सामग्री के साथ स्त्रियों की अर्द्ध-नग्न तस्वीरें छापते हैं, स्त्रियों के अंगों का खुला प्रदर्शन करते हैं और माल की विक्री में उसका सहारा लेते हैं। इस तरह से गरीबों की खून-पसीने की कमाई का ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और उसको बढ़िया माल के बदले में घटिया माल मिलता है और साथ में नंगी तस्वीरें मिलती हैं।

मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस तरह के विज्ञापनों के सम्बन्ध में वे सरकार की तरफ एक से आचार संहिता अवश्य बनायें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am in favour of the idea and the principal underlying this Bill and I am very glad to find that from all sections, from all sides, of this House there is support for this Bill.

My hon. friends, several of them have spoken at some length about the need for according equal treatment in rights, duties and responsibilities and also in property rights and so on to our women. If we are in favour of ensuring equal progress on the part of our women, certainly we should see that woman's body is not made a commercial proposition. Man's body is not being made a commercial proposition. Why ? It is because woman is not so fond of seeing man's figure. But man seems to have the terrible weakness for running after a woman's figure. This has been there throughout. It is a part of nature. But that does not mean that we should turn it to business.

I am an old man, possibly the oldest here in this House. I have been exposed to Western civilisation and culture at its best as well as at its worst for the last more than 60 years.

20.00 hrs.

It was in 1920 that I went abroad and for the first time I was a shocked to see there, women on the sea coast, having their bathing practices and enjoyments because I was not exposed to Western aspect of life to that extent and in that manner I was shocked in the beginning. Then I have got used to it. Our women also are getting used to it when they go over there along with their husbands and parents. During the last 20 years, large numbers of them from East Africa, and lakhs of them have gone to London and tens of thousands of them are there in Canada and U.S.A. Women of Sikhs and of Hindus are also in various other Western countries. Those of us who have an opportunity of going abroad and especially to the West are able to see how our women are behaving themselves, they are dressing themselves and their menfolk are encouraging them to dress themselves in our way or not dressing themselves in Western ways, whatever it is, they know how. You will be wonder-struck with the

(Prof. N. G. Ranga)

kind of contrast that you find between our women abroad and our women, some of our women. not all women, in this Delhi and Bombay. Here some of the young women seem to take a big fancy to that wrong side of Western woman's culture or non-culture. It is not so with our women in those countries, in England and Canada and America and various other countries, in Germany, and France especially where nudism has been a fashionable thing for generations, In all those countries our women do not run after and they do not don those Biknis. They do not, even though the Western women, according to us, do it in their own life among themselves. Why ? Because it is not natural for our women, any how, to run after the West. When our advertisers here try to use our women as models and clothe them with the shameful purpose which my Hon. friend has just now said, of selling substandard goods, substandard clothes and substandard utilities, making money out of it, are we to encourage those people ? Are we to be silent spectators to that kind of advertisement ?

Reference has been made to Konarak and Khajuraho and to various other religious places in India where we find these nude pictures. Why were they made ? Why were they displayed there ? They had their own reasons. Who made them ? The Maharajas who had plenty of money and women made them. But now they lost their fancy for these women. At that time, they developed some kind of a fancy for any kind of woman. Therefore, they allowed their arthitects, their sculptors and artists and other people to indulge, to cater to their taste and culture. All those things were all wilfully done at that time.

By providing various modern facilities by way of tourism and all the rest of it, we are encouraging those Western folk to come over here. That is not good. But it is being done. But anyhow it is not affecting our people. Our women and our men have been looking at all these things and yet they were not demoralised. They are not being deceived and they are not getting themselves wrongly excited because they are being presented and they were presented also there at that time, not with a view to excitement but with various other views, artistic and all the rest of it.

We have cabarets here in various cities. But all the cities are not like. Go to Calcutta. The Indian culture is there. Not as as many women as you find here are running after the western type of life because there is an atmosphere of culture which is aggressive, which is self-confident, which is self-reliant, which is able to the rest of the country that they are confident about the excellence of their culture. What do we find now ? What is the type of progress we are having all over the country ? There were tribals in our country who were not so very keen on dressing themselves too much. Those people are now taking on more and more clothing. There were people also in Kerala; it was the fashion in those days not to wear very much above the navel; even there, they were wearing blouses. It is not because of any advertisement, it is not because of any kind of campaign. In the natural course of things, as they were developing their own economic condition and at the same time their own social conception, they began to wear first of all the mini breast cloth, afterwards regular skirt, regular bodice, regular jacket also; they are dressing themselves. That is the tendency in our country. They consider it to be progress. Progress is not considered by those people in discarding more and more of clothing but in coming to have more and more of clothing. You go anywhere else. Tribal people are our own people. We have so many of our working class people. Their tendency is to have more and more clothing. Many people may say that young people would not find much fancy when women have more and more clothing. In their own areas their own men are taking fancy for their own women.

There is also the great difference between the west and the east. There, women have to get themselves married independently on the strength of their own bodies, on the strength of their beauty, on the strength of their culture and their other qualities. With us, it is not like that. We have our family system. The English people

also have their family system. That is why, the English people are more steady than the Americans The American family system is crumbling. Go to Russia. What do we find ? My hon. friend, Mr. Ramavatar Shastri, was entirely right. The westerners consider those people in Russia and in some of the Communist countries, south-east European countries too, to be growing more and more conservative because from their point of view these communists and socialists are wearing more and more clothing. But, in fact, they are not more conservative; they are more progressive. You find more women doctors in Soviet Russia than anywhere else proportionately and even absolutely also. You find more and more women engineers in Soviet Russia. They are progressing in the way of not only women's emancipation but also in having a sense of equality and self-reliance. In those countries, this kind of nudity is not being exploited, is not being commercialised. Indeed, in China too, with Mao it was said that they were becoming more and more conservative and afterwards with Hua, it was said, they were becoming less and less conservative. Not so, Women are becoming more and more self-reliant in those socialist countries. All credit to them. I would like our women also to move in that direction and progress in that fashion. And if we look at it that way, there would not be this kind of excitement towards nudity.

This incitement of nudity has come from the West; it is growing in the West because, in their own way, they seem to think that they are progressive. From any point of view, after having seen them as well as our people during the last sixty years-no one or two generations or one or two decades and not by simply making two or three visits or anything like that but I have been a frequent visitor-and I have family friends there too I have taken my wife herself to West many years ago. Why did I take her ? I thought their society was absolutely demoralised in some ways, and, in some ways, it was progressive too. I wanted her to make her own choice. She made her choice in favour of Indian culture. And she became one of the leaders of the Indian women movement under the leadership of Shrimati Sarojini Devi Naidu, Kamaladevi Chattopadhyaya and several others. She was one of the daughters of Mahatma Gandhi and she became a freedom fighter. Our women, as our friends said, have fought for our freedom. These present-day women-some of them-who are going after this kind of Western nudism have not had the taste of this kind of sacrifice or suffering. They do not know what it is to be sacrifice. In a progressive movement, they have got to make sacrifices. Our own friend here, Mrs. Gopalan, is also one of our freedom fighters. There are a number of women here. As I said sometime ago, we have our delightful friend, Shrimati Dandavate. These are the people who know what is to be sacrificed and what is to suffer. They know how they should be progressive too. They are equally progressive and revolutionists too. We had Mrs. Patel. In fact all our women in their own way are progressive too. Therefore, the Government has got to take a serious view of these things. I am glad that my good old friend, revered friend, Shri Satya Narain Sinha, was remembered today. He passed away only recently. He was one of our respected freedom fighters. I think he was once the Minister for Information. He gave that advice at that time; he also gave that assurance that some guidelines would be fashioned out by Government and necessary steps should be taken to implement them.

How long are we going to take ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can complete it now. After that, the Minister will intervene.

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : Why should we not get a chance on such an important Bill to speak ? Kindly give us a chance. This is the last day of the session and hence give the chance to us.

PROF. N.G. RANGA : Let it be extended to the next session.

SHRI MOOL CHAND DAGA : What is the harm in that ?

SHRI M. M. LAWRENCE (Idukki) : It cannot be.

SHRI MOOL CHAND DAGA : Why not ?

PROF. N.G. RANGA : It can be taken up next time if it is not to lapse.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Lawrence, for your information, even if this is extended, your bill will have to be taken up.

PROF. N.G. RANGA : It need not be lapsed.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It will lapse if it is not taken to-day. I shall allow Mr. Daga and then the Minister will reply. You complete it.

PROF. N.G. RANGA : Are you going to close the debate ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, No. Have you completed ?

PROF. N.G. RANGA : No, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is that this will have to be completed to-day I shall give five minutes to Mr. Lawrence to move his Bill.

There is only one more speaker. Mr Daga is also allowed.

PROF. N.G. RANGA : That is not my point. Is there no precedence that the Bill may be taken up next time ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : It cannot be taken up. It should be taken up to-day itself. This is also an important Bill.

SHRI MOOL CHAND DAGA : What harm is there ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is also an important Bill. Mr. Ranga you can complete it now. You have done, I think.

PROF. N.G. RANGA : I thought that it can be taken up next time.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It cannot be.

PROF. N.G. RANGA : Therefore, I would urge upon the Government to give a serious thought to this.

Government means not only the Ministers but also the administration. I would make an appeal to the whole of the Government-the Ministers as well as administration especially Law Ministry-to be a little more energetic and less lazy and help us to see that a proper Bill is brought forward in good time. It is very necessary that be should prevent our advertisers and their concerns, the business people, cinema people and T.V. people for exploiting nudism and see that they do not exploit sex in the manner in which they have been exploiting for the mundane purpose of making more money. Till now no serious effort has been made to prevent this kind of mischief. It is high time that Government comes into it in a larger way and play the same role that our mothers are playing in our homes. Recently one court simply said that censors should give reasons as to why a particular scene should not be allowed to be exhibited. Therefore, I expect the Government to give serious consideration to this matter in all its aspects. They may get it examined by an export committee and then come forward with constructive proposals before the House.

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ दिल्ली के अन्दर बहुत सी औरतें अपने हाथों में ब्रुश ले कर जहां जहां औरतों की तस्वीरें वैनर्स पर लगी हुई हैं उन को बिलकुल काला कर रही हों और दूसरी तरफ़ हमारे एक साथी एक बिल लेकर यहां आये हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं :—आज़ समाज में जो पीड़ा उत्पन्न हुई है उस को बताने के लिए यह बिल यहां पेश किया गया है, मगर सवाल यह नहीं है। आज अगर आप किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करेंगे तो वह चीज़ ज़्यादा उभर कर आयेगी।

संस्कृति अपना काम करेगी। अभी जो हमारे नेता ने कहा है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि

अश्लील किस को कहते हैं, अच्छाई और सुन्दरता किस को कहते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं :-

"जाकि रही भावना जैसी,
प्रभु मूरत तिन देखिहि तैसी "।।

जैसी जिस की भावना रहती है, उस को वह चीज़ वैसी ही दीखती है। यह सवाल कैसे पैदा हुआ ? जिन लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ों को देखने का आकर्षण है, वही इस सवाल को पैदा करता है। अब खजुराहो में जो हमारी संस्कृति है, उस को जमीन पर ढा दो, जमीन पर उस को ले आओ। जो संस्कृति होती है, उसका आदान-प्रदान होता है।

हमारे पटेल साहब के दिमाग में एक बात आ गई कि इस में अश्लीलता है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह अश्लीलता क्या चीज़ है, नग्नता क्या चीज़ है। हमारे दिगम्बरी साधु नंगे घूमते हैं, तो क्या यह अश्लीलता है। आई.पी.सी. एक्ट जो आप ने बनाया है, उसके अन्तर्गत यह आता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने आप यह चीज हो जायेगी लेकिन अगर आप कानून से इस को तब्दील करना चाहते हैं, तो यह नहीं होगा। हिन्दुस्तान के लोगों में ज्यादा आकर्षण पैदा होता है इन चीजों को देखने के लिए और इस लिए इस प्रकार की बातें आप करने लगे हैं। न्यूड पिक्चर अगर लोग देखेंगे तो लोग बिगड़ जाएगें। मैं यह समझता हूं कि जितने ये लोग माला पहनते हैं और यह जो ढोंग होता है राम के नाम का, यह कहाँ तक ठीक है। अब सवाल यह है कि अपने सौन्दर्य को दिखाने की जो बात आती है उसके लिए क्या किया जाए। क्या हमारे रामायण में सीता का वर्णन नहीं है, उनके सौन्दर्य का वर्णन नहीं है और क्या हमारे दर्शन में इस तरह की बातें नहीं हैं। आप एक इस तरह का बिल यहां पर ले कर आ गये हैं। क्या इस प्रकार के बिल से अश्लीलता और अर्द्ध-नग्न वाली बातें समाप्त हो जाएगीं। हमारे देश के अन्दर जो इतने सारे मन्दिर हैं, उनमें हमारी संस्कृति है और वह कितना लोगों को आकर्षित करती है। अब एक बिल हमारे सामने आ गया है, जिस में कहा गया है कि सरकार जल्दी से कदम उठाए, जिस से इस तरह की बातें खत्म हों। कुछ लोगों को उपदेश देने की आदत सी बन गई है लेकिन मेरा कहना यह है कि उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। आज का युग वैज्ञानिक युग है और सारा संसार छोटा हो गया है। इस लिए अब यह सवाल नहीं है बल्कि इस छोटे संसार में हम एक दूसरे की संस्कृति को लाना चाहते हैं। सवाल यह नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। यह जो आदर्श-वाद की बात करते हैं, यह अब चल नहीं सकती। आज के लड़के अब उस प्रकार की बातें नहीं करते जैसे पहले करते थे।

एक माननीय सदस्य : जो कपड़ा तन पर रह गया है, उस को भी उतार देना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : उतार दो, नहीं हैं तो मत पहनो। इस से फ़र्क क्या पड़ता है। अब तो लड़के बड़े-बड़े बाल रखते हैं और आप इस तरह की बात बोलेंगें, तो क्या वे मान जाएगें। संस्कृति अपने आप काम करती हैं और कानून बनाने से जो तब्दीली आप लाना चाहते हैं, वह तब्दीली आप ला नहीं सकते। आवश्यकता समाज को बदलती है। वातावरण और विचारों से समाज बदलता है माला पहन कर ढ़ोग रच लिया और मन्दिर में जो पुजारी बैठता है, क्या वह बड़ा अच्छा आदमी है। उस का आचरण क्या होता है। उस के हाथ में रामायण है और अल्मारी में कोक-शास्त्र होता है ...(व्यवधान)... यह 1983 है। अब 1890 का जमाना नहीं है। संस्कृति अपने आप

(श्री मूलचन्द डागा)

बदलती है। आज के वैज्ञानिक युग में आदमी के अन्दर तब्दीली आई है और इस प्रकार के बिल ला कर श्री मोहन लाल पटेल समाज को बदलना चाहें, तो बदल नहीं सकता। उन के दिमाग में एक बात आ गई और बहुत लोगों ने ऐसी बातें कह दीं।

ऐसे विज्ञापन हैं। तो आप उनको क्या कहेंगे जो हमारी लड़कियां स्पोर्टस में भाग लेती है। क्या उनको अर्द्धनग्न कहेंगे ? क्या आपने अर्द्धनग्न की कोई डेफीनेशन इस बिल में दी है। अगर आपने डेफीनेशन दी होती तो मैं मान लेता। इसके बारे में इंडियन पैनल कोड के सैक्शन 268-292 में भी लिखा गया है। आप कहेंगे कि ये चीजें भी गंदी हैं। कोई चीज अच्छी या गंदी नहीं होती बल्कि अदिमी के सोचने का तरीका गंदा होता है। यह आपके दिमाग की खराबी है। आदर्शबाद की बातें करते हैं जवानों के अंदर बुढ़ापे सी संजीदगी होनी चाहिए और बूढ़ों के अंदर जवानों सी ताजगी होनी चाहिए। आप अपने विचारों को जवानों पर थोपना चाहते है। अच्छा हो कि बूढ़ों के गुण हम ले लें और हमारी ताजगी वे ले लें।

मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि सब से ज्यादा पिक्चर बूढ़े लोग ही देखते हैं यह एक्ट देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इन्हें क्या जरूरत पड़ गई है इसको लाने की। लोग आदर्शवाद की बात करके आध्यात्मवाद की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं।

इस बिल में अश्लील की परिभाषा नहीं बताई गई है। लोगों के देखने और सोचने का तरीका गलत होता है। (व्यवधान)

इसलिए मेरा कहना है कि आप इस बिल को मेहरबानी करके जल्दी में मत लाईए। रेडियो, टी. वी., अखबार हर जगह सौंदर्य पर ही नजर जाती है। बिना सौंदर्य के जीवन बेकार है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल का प्रचारार्थ सर्कुलेट कीजिए (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : Sir, at the outset, I would like to thank all the hon. Members who have participated in this discussion and expressed their views on the question of exploitation of women in our society. Although the Bill has a limited purpose and relates to the question of female figure for advertsiements, it is quite natural, that most of the Members have expressed their views on other aspects and how women are in general exploited in the matter of dowry, rape etc.

Before I touch upon this Bill, I would like to say that the Government is fully aware of these problems and we are taking measures in this direction to stop these evils, for example by amending the Civil Procedure Code and the Indian Penal Code as also making the Dowry law more stringent so that we are able to achieve the desired objectives.

I fully share the feelings of my friend, Shri Mohan Lal Patel and other Members that there should be no exploitation of the female form in any mannor and it should be decried. I also agree with the Members who have said that this tendency is on the increasing side. Naturally, the question is how best this tendency can be curbed. I must appreciate Shri Daga's way of argument. He has presented the picture clearly. Law is certainly there, but what is needed at the moment is strong action and implementation of the Law. We are directing our actions towards how we can implement those laws. In this regard, a strong public opinion will definitely go a long way to improve the situation.

The Bill, as it is, seeks to provide for a ban on the exposure of women's body for advertisement purposes. This is the sum and substance of this Bill and it seeks to achieve that objective through this Bill.

I admit that many advertisements do excite mocbid interest, but it is not a fact that all the advertisements which depict women figure do so. We do admit that. But the crux of the matter is that we are very much concerned with obscenity and obscene advertisement. There is a law to curb obscenity in our Statute Book. I would like to elaborate this point. We have already provisions in the I.P.C. which prohibit sale, description, publication, exhibition etc. of any book, drawing, painting etc. that is obscene. Section 292 and 293 of the I.P.C. deal with such things By an amendment of the Act in 1969, what is obscene has also been defined. I have that with me. The punishment is quite severe and it extends upto two years imprisonment and fine upto Rs. 2000 in the first instance, or if the conviction is or a second or subsequent offence, the imprisonment may be upto five years and fine upto Rs. 5000. If such material is sold, exhibited etc. to any young person below 20 years of age, the punishment is still more severe-upto seven years of imprisonment. So, stringent measures are also there.

Thus, it will be seen that law takes care of such advertisements, publications etc. which are obscene.

I am sure what is in the mind of the hon. Member is a ban on such advertisements, which are obscene.

And it has some corrupting influence on the society or the individual. But, Sir, the Bill, as drafted, has become quite sweeping. It imposes total ban on exposure of tender parts of woman body or its exhibition or depiction etc. Sir, it has rightly been said that he has not explained what constitutes the tender part of the body. In many respects, the Bill, as drafted, has deficiencies.

He wants to impose total ban on the exposure of woman's body or its depiction in a nude or semi-nude form or in any way for any purpose. So, it is some ulimited thing he has brought about in the Bill. This is very sweeping. Sir, a book on medicine may depict a woman body in a nude form. There may be fine nude and semi-nude paintings. Should we object to such depictions ni academic and medical books and in paintings etc ? This is the question. I hope this is not intended and that is why I feel that the Bill has become more sweeping and to that extent it is not desirable.

As I have already said, as far as obscenity goes, there is already a provision in the IPC in this regard.

One more thing, Sir. This Bill which the Hon. Member has proposed, may also not stand the scrutiny of our Constitution. The Constitutional validity of the Bill may also be challenged under Article 19(i) as some of the Hon. Members have said.

Sir, I fully share the sentiments of the Hon. Member who has moved this Bill. I also share the sentiments of other Members who have spoken in support of it that woman must continue to get respect that befits our cultural heritage. The tendency to exhibit woman form for commercial purposes must be curbed. For this proper enlightenment and powerful public opinion in the country is needed. In this regard about ten Hon. Members have spoken and they have given several suggestions while speaking. Sir, I welcome those suggestions. If it helps us in strengthening the provisions of the law, naturally we will examine all these suggestions, specially the suggestions given by Rangaji. We will certainly examine them and if needed we will make our law more stringent.

With these words, I request the Hon. Member not to press for this Bill and that he should withdraw it.

श्री मोहन लाल पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो विधेयक पेश किया है उसकी भावना और दृष्टि यही थी कि भारतीय संस्कृति में दिन-प्रतिदिन जो गिरावट हो रही, उसको हम कैसे रोक सकेंगे ? बहुत से सदस्यों ने इस रिवेट में भाग लिया और अपनी-अपनी राय प्रकट की और इस बिल को सपोर्ट किया, मैं उनका बहुत आभारी हूं ।

(श्री मोहन लाल पटेल)

डागा जी ने अपना दृष्टिकोण बताया है। उनको सौन्दर्य और न्यूड में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। उनकी दृष्टि बहुत ऊंची है, लेकिन आमतौर पर भारत में देखा जाये तो एडवटइिजमैंट्स में नग्नता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है अगर ऐसा ही होता रहा तो हम कहां जायेंगे ? जो लोग नग्नता को सौन्दर्य में देखते हैं, उनके लिये यह बिल नहीं है, लेकिन आज हमारे समाज का जो ढांचा है वह सिर्फ भारत में ही नहीं, डागा जी ने ही मुझे बताया है कि फ्रांस में भी एक विधेयक इस बारे में लाया गया हैं। मैं उसको यहां पढ़ना चाहता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Daga has never agreed with any Bill that has been moved in this House—whether official or Private Member's Bill.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA (Samastipur) : Actually, his place should be here.

SHRI MOHAN LAL PATEL : I am quoting. It says :

> "The new Socialist Government of France has taken note of this protest. Recently, Mr. Yvette Roudy, the Minister for Women's Rights, introduced a Bill which would outlaw publicity material deemed to degrade the female sex. This, the French Government, said is the first step to uphold women's rights. How to enforce the law, is the problem. The amount of sexually-oriented advertisements is so large that it would be difficult to enforce the new regulations."

उन्होंने भी सोचा है कि इस बारे में कुछ पावन्दी लगाना जरूरी है इस विधेथक के समर्थन में बहुत से माननीय सदस्यों ने काफी कुछ कहा है। कोई भी इस बात से असहमत नहीं है कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध जरूरी नहीं है। सेक्स के विरुद्ध कोई नहीं है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि कालेजों में सेक्स की पूरी शिक्षा दी जाए। लेकिन सेक्स को बाजार बनाने पर पाबन्दी लगाना जरूरी है। उसके लिए मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है। लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि प्रो रंगा ने जो विचार रखे हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए वह इस बारे में कोई नया विधेयक अगले सेशन में लाएंगे या नहीं

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Patel, are you withdrawing the Bill ?

SHRI MOHAN LAL PATEL : Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

> "That leave the granted to withdraw the Bill to provide for a ban on the exposure of Woman's body for advertising purposes."

The motion was adopted

SHRI MOHAN LAL PATEL : Sir, I withdraw the Bill.

20.44 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(*Amendment of Article 31B*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we go to the next item. Mr. Lawrence. You can move and speak.

SHRI M.M. LAWRENCE (Idukki) : I beg to move :

> "That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

I am moving this Bill to further amend the Constitution of India. So many Bills are being passed in the State Assemblies, aimed at the well being of the down-trodden people of India. We have proclaimed socialism as our aim. But we have one experience in respect of many Bills passed by the State Assemblies to ameliorate the conditions of our farmers, as well as other sections of the people...